रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12072021-228243
CG-DL-E-12072021-228243

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 388] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 12, 2021/आषाढ़ 21, 1943
No. 388] NEW DELHI, MONDAY, JULY 12, 2021/ASHADHA 21, 1943

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली 9 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 486(अ).—जबकि, **भारत गणराज्य की सरकार तथा मलावी गणराज्य की सरकार के बीच प्रत्यर्पण संधि** पर 5 नवम्बर 2018 को लिलोंगवे में हस्ताक्षर किए गए और ऊपरोक्त संधि के अनुसमर्थन के लिखितों का आदान-प्रदान नई दिल्ली मे 26 फरवरी 2021 सम्पन्न हुआ:

और जबकि, इस संधि के अनुच्छेद 26 के पैरा (2) के उपाबंद के अनुसार उक्त संधि 26 फरवरी 2021 से लागू हुई;

और जबकि, उक्त संधि इस आदेश की अनुसूची में विर्निदिष्ट है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उप धारा (1) के साथ पठित उप धारा (3) के खंड (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि अध्याय III को छोड़कर, उक्त अधिनियम के उपाबंद मलावी गणराज्य पर उक्त **प्रत्यर्पण** संधि के प्रवत्त होने की तिथी से लागू होंगे।

अनुसूची

"भारत गणराज्य की सरकार तथा मलावी गणराज्य की सरकार के बीच प्रत्यर्पण संधि

भारत गणराज्य की सरकार तथा मलावी गणराज्य की सरकार (जिनका इससे आगे "संविदाकारी राष्ट्रों" के रूप में उल्लेख किया गया है);

अपराधियों के पास्परिक प्रत्यर्पण का भी प्रावधान करके अपराध को रोकने में दोनों देशों के बीच सहयोग को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी बनाने की इच्छा से;

इस बात को मानते हुए कि आतंकवाद को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है;

निम्नलिखित सहमत हुई हैं:

अनुच्छेद 1

प्रत्यर्पित करने का दायित्व

(1) दोनों संविदाकारी राष्ट्रों में से प्रत्येक संविदाकारी राष्ट्र इस बात का वचन देता है कि वह इस संधि की शर्तों के अधीन ऐसे किसी भी व्यक्ति को दूसरे संविदाकारी राष्ट्र को प्रत्यर्पित करेगा जो अनुच्छेद 2 में यथावर्णित किसी प्रत्यर्पण योग्य अपराध का अभियुक्त हो अथवा सिद्ध-दोष हो भू-भाग और वह दूसरे राष्ट्र के भू-भाग में पाया गया हो चाहे ऐसा अपराध इस संधि के प्रवृत्त होने से पूर्व अथवा उसके बाद किया गया हो।

(2) अनुरोधकर्ता राष्ट्र के प्रदेश से बाहर अनुच्छेद-2 में यथावर्णित प्रत्यर्पण योग्य अपराध के संबंध में भी प्रत्यर्पण उस स्थिति में उपलब्ध होगा यदि उस अपराध पर अनुरोधकर्ता राष्ट्र का क्षेत्राधिकार हो और यदि अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र का तदनुरूपी परिस्थितियों में क्षेत्राधिकार हो। ऐसी परिस्थितियों में अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र अपराध की गंभीरता सहित मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करेगा।

(3) इसके अतिरिक्त अनुच्छेद-2 में यथावर्णित प्रत्यर्पण अपराध के संबंध में प्रत्यर्पण उपलब्ध होगा:

(क) यदि वह अपराध अनुरोधकर्ता राष्ट्र के राष्ट्रिक द्वारा किसी तीसरे राष्ट्र में किया गया है और अनुरोधकर्ता राष्ट्र अपना क्षेत्राधिकार अपराधी की राष्ट्रियता के संबंध में आधारित करता है, और

(ख) यदि यह अपराध अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र में किया गया है तो यह अपराध उस राष्ट्र के कानून के तहत अपराध होगा जिसके लिए कम से कम एक वर्ष की कैद की सजा दी जा सकती है।

अनुच्छेद 2

प्रत्यर्पण योग्य अपराध

(1) इस संधि के प्रयोजनार्थ किसी प्रत्यर्पण अपराध से अभिप्राय किसी ऐसे अपराध से है जिसके लिए दोनों संविदाकारी राष्ट्रों में से प्रत्येक के कानूनों के अधीन कम-से-कम एक वर्ष की अवधि के लिए कैद की सजा दी जा सकती है।

(2) किसी व्यक्ति के मामले में उसे प्रत्यर्पण योग्य अपराध का दोषसिद्ध पाए जाने , किंतु अभी सजा न सुनाए जाने अथवा दोषसिद्ध पाए जाने और सजा सुनाए जाने, की स्थिति में सजा अथवा सजा की शेष अवधि पूरी करने, जैसा भी मामला हो, के प्रयोजनार्थ में प्रत्यर्पण किया जाएगा। परंतु यदि प्रत्यर्पण सजा की शेष अवधि से संबंधित हो, तो प्रत्यर्पण की अनुमति तभी दी जाएगी जब कम-से-कम चार महीने की सजा की अवधि शेष रह गई हो।

(3) कोई भी अपराध चाहे उसका संबंध कराधान से हो अथवा राजस्व से हो अथवा वह नितांत राजस्वगत मामला हो, प्रत्यर्पण योग्य अपराध हो सकता है।

अनुच्छेद 3

सामासिक अपराध

इस संधि के अनुसार किसी भी प्रत्यर्पण योग्य अपराध के लिए प्रत्यर्पण उपलब्ध होगा, चाहे वांछित व्यक्ति की गतिविधियां पूर्णतः अथवा अंशतः अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र में संचालित की गई हों और उस राष्ट्र के कानून के अनुसार संबंधित व्यक्ति की गतिविधियों या उसके प्रभाव या उसके अभीष्ट प्रभाव के बारे में समरूपता से यह समझा जाए कि वह अनुरोधकर्ता राष्ट्र के भूक्षेत्र में कारित प्रत्यर्पण अपराध है।

अनुच्छेद 4

राष्ट्रिकों का प्रत्यर्पण

इस संधि में उल्लिखित कोई भी बात अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र को किसी प्रादेशिक अपराध अथवा प्रदेश से बाहर किए गए अपराध के संबंध में अपने राष्ट्रिकों का प्रत्यर्पण करने से नहीं रोकती।

अनुच्छेद 5

राजनीतिक अपराध से संबंधित अपवाद

(1) जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है वह राजनैतिक स्वरूप का हो तो यदि प्रत्यर्पण करने से इंकार किया जा सकता है।

(2) इस संधि के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अपराधों को राजनैतिक स्वरूप का अपराध नहीं माना जाएगा:

i. वायुयान के गैर-कानूनी अभिग्रहण को रोकने के संबंध में है में 16 दिसम्बर, 1970 को हस्ताक्षरार्थ रखे गए अभिसमय के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला कोई अपराध:

ii. नागर विमानन सुरक्षा के खिलाफ गैर-कानूनी कृत्यों को रोकने के लिए मोन्ट्रियल में 23 सितम्बर, 1971 को हस्ताक्षर के लिए रखे गए अभिसमय के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला कोई अपराध;

iii. राजनयिक अभिकर्ता सहित अंतरराष्ट्रीय रूप से संरक्षित व्यक्तियों, के विरूद्ध अपराधों को रोकने तथा उन्हें दण्ड देने के संबंध में न्यूयार्क में 14 दिसम्बर, 1973 को हस्ताक्षर के लिए रखे गए अभिसमय के विषय क्षेत्र के अंतर्गत कोई अपराध;

iv. बंधक बनाने के खिलाफ न्यूयार्क में 18 दिसंबर, 1979 को हस्ताक्षर के लिए रखे गए अंतरराष्ट्रीय अभिसमय के विषय क्षेत्र के अंतर्गत कोई अपराध;

v. हत्या;

vi. नरसंहार अथवा आपराधिक नर हत्या;

vii. हमला जिसका ध्येय वास्तविक शारीरिक क्षति पहुंचाना अथवा चोट पहुंचाना, दुर्भावना से घायल करना अथवा गंभीर शारीरिक क्षति पहुंचाना हो चाहे, ऐसी कोई क्षति किसी हथियार, किसी हानिकारक पदार्थ से अथवा अन्यथा पहुंचाई गई हो;

viii. ऐसा कोई विस्फोट करना जिससे जीवन खतरे में पड़ने, अथवा संपत्ति को गंभीर क्षति पहुंचने की आशंका हो;

ix. ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा कोई विस्फोटक पदार्थ बनाना अथवा उसको अपने पास रखना जो स्वयं अथवा किसी दूसरे व्यक्ति के जरिए जीवन को खतरे में डालने अथवा संपत्ति को गंभीर क्षति पहुंचाने की मंशा रखता हो;

x. ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा अग्नि-शस्त्र अथवा गोला बारूद अपने कब्जे में रखना जो या तो स्वयं अथवा दूसरे व्यक्ति के जरिए जीवन को खतरे में डालने की मंशा रखता हो;

xi. किसी व्यक्ति द्वारा अपनी अथवा दूसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी अथवा नजरबंदी का प्रतिरोध करने अथवा उसे रोकने की मंशा से किसी अग्नि-शस्त्र का प्रयोग;

xii. सार्वजनिक अथवा अन्यथा उपयोग के लिए प्रयुक्त संपत्ति को क्षति पहुंचाना जिसका उद्देश्य जीवन को खतरे में डालना हो अथवा जिसमें इस बात की कतई परवाह न की गई हो कि उससे किसी अन्य व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ेगा;

xiii. किसी व्यक्ति का अपहरण करना, अपहरण, मिथ्या रूप से कैद करना अथवा गैर-कानूनी नजरबंदी जिसमें बंदक बनाना भी शामिल है;

xiv. हत्या के लिए दुष्प्रेरित करना;

xv. आतंकवाद से संबद्ध अन्य ऐसा कोई अपराध जो अनुरोध के समय, अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के कानून के तहत राजनैतिक स्वरूप का अपराध न माना जाता हो; तथा

xvi. उपर्युक्त अपराधों में से कोई अपराध करने का प्रयास करना, उसके लिए षड्यंत्र करना अथवा उसमें ऐसे व्यक्ति के सह-अपराधी के रूप में भागीदार होना जिसने ऐसा अपराध किया हो अथवा करने का प्रयास किया हो;

xvii. किसी अभिसमय, जिसके दोनों संविदाकारी राष्ट्र पक्षकार हों, के दायरे के भीतर कोई अपराध और जिसके अंतर्गत पक्षकारों के लिए मुकदमा चलाने अथवा प्रत्यर्पण प्रदान करने की बाध्यता हो।

अनुच्छेद 6

राष्ट्रक्षेत्रातीत क्षेत्राधिकार का विस्तार

(1) मलावी की सरकार यह वचन देती है कि वह भारत में किए गे निम्नलिखित अपराधों में किसी भी अपराध को मलावी के कानून के तहत अपराध मानेगी-

(क) इस संधि के अनुच्छेद-5 में विनिर्दिष्ट अभिसमयों में से किसी भी अभिसमय के अंतर्गत आने वाला कोई अपराध;

(ख) हत्या, नर-संहार अथवा आपराधिक नर-हत्या, व्यपहरण, अपहरण, मिथ्या बंदीकरण अथवा गैर- कानूनी नजरबंदी जिसमें किसी को बंदी बनाना भी शामिल है;

(ग) इस संधि के अनुच्छेद-5 में यथाविनिर्दिष्ट कोई विस्फोट करने, विस्फोटक बनाने अथवा उन्हें अपने कब्जे में रखने अथवा अग्नि शस्त्र को अपने कब्जे में रखने अथवा उसका प्रयोग करने अथवा गोला-बारूद को अपने कब्जे में रखने से संबद्ध कोई अपराध; और

(घ) उपर्युक्त अपराधों में से किसी भी अपराध को करने का प्रयास करना अथवा उसमें सह अपराधी के रूप में भागीदार होना।

(2) भारत सरकार मलावी में किए जाने वाले पैराग्राफ(1) में सूचीबद्ध अपराधों पर तदनुरूपी क्षेत्राधिकार स्थापित करने का वचन देती है।

अनुच्छेद 7

षड्यंत्र, दुष्प्रेरणा तथा उसका प्रयास करने से संबद्ध अपराध

(1) किसी भी संविदाकारी राष्ट्र में रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए उस संविदाकारी राष्ट्र के कानून के अनुसार यह भी अपराध माना जाएगा-

(क) अन्य संविदाकारी राष्ट्र में निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करने का प्रयास करना अथवा करने के लिए दुष्प्रेरित करना अथवा उसमें सह-अपराधी के रूप में भाग लेने:-

(i) इस संधि के अनुच्छेद-5 में विनिर्दिष्ट किसी भी अभिसमय के अंतर्गत कोई भी अपराध;

(ii) हत्या, नरसंहार अथवा आपराधिक नर-हत्या, व्यपहरण, अपहरण मिथ्या, बंदीकरण अथवा गैर-कानूनी नजरबंदी जिसमें किसी को बंधक बनाना भी शामिल है; और

(iii) अनुच्छेद-5 में यथाविनिर्दिष्ट कोई विस्फोट करने, विस्फोटक सामग्री बनाने अथवा अपने अधिकार में रखने, किसी आग्नेयास्त्र को अपने अधिकार में रखने अथवा उसका प्रयोग करने अथवा गोला-बारूद को अपने अधिकार में रखने से संबद्ध अपराध; और

(ख) उक्त उप-पैराग्राफ (i) से (iii) में वर्णित कोई भी अपराध अन्य संविदाकारी राष्ट्र में करने का षड्यंत्र करना।

(2) उपर्युकत पैराग्राफ (1) (ख) के प्रयोजन के लिए पूर्वोक्त, षड्यंत्र करने को तभी अपराध माना जाएगा जबकि उस देश में किसी व्यक्ति द्वारा षड्यंत्र करना या वैसा अपराध करना वहां के कानून के अंतर्गत अपराध हो जहां षड्यंत्र करने का आरोप लगाया गया हो।

(3) कोई भी अपराध इस बात के होते हुए भी कि उसका संबंध कराधान से है अथवा राजस्व से है अथवा वह नितांत राजस्व स्वरूप का है प्रत्यर्पण योग्य अपराध हो सकता है।

इस संधि में कोई भी बात अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र को किसी प्रादेशिक अपराध अथवा प्रदेश से बाहर किए गए अपराध के संबंध में अपने राष्ट्रिकों का प्रत्यर्पण करने से नहीं रोकती।

अनुच्छेद 8

प्रत्यर्पण और अभियोजन

(1) अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र प्रत्यर्पण के अनुरोध को उस स्थिति में नामंजूर कर सकता है जब जिस व्यक्ति के प्रत्यर्पण की मांग की गई हो उस पर उस राष्ट्र के न्यायालयों में प्रत्यर्पण अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता हो।

(2) यदि अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र पैराग्राफ-I में दिए गए कारण से प्रत्यर्पण के अनुरोध को नामंजूर करता है तो वह अपने सक्षम प्राधिकारियों को मामला प्रस्तुत करेगा ताकि अभियोजन पर विचार किया जा सके। ये प्राधिकारी उसराष्ट्र के कानून के तहत गंभीर स्वरूप के किसी अपराध के मामले की तरह अपना निर्णय लेंगे।

(3) यदि सक्षम प्राधिकारी अभियोजन नहीं चलाने का निर्णय लेते हैं तो ऐसे मामले में प्रत्यर्पण के अनुरोध पर इस संधि के अनुसार पुनः विचार किया जाएगा।

अनुच्छेद 9

प्रत्यर्पण नामंजूर करने के आधार

(1) किसी का उस स्थिति में प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकेगा यदिः

(क) वह अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र को इस बारे में संतुष्ट कर देता है कि सभी परिस्थितियों को देखते हुए निम्नलिखित कारणों से उसे प्रत्यर्पित करना अन्यायपूर्ण अथवा पीड़ादायक होगाः

(I) वह जिस अपराध का अभियुक्त है अथवा सिद्धदोष है वह अपराध तुच्छ स्वरूप का है; अथवा

(ii) उस समय से जब से उस पर यह आरोप है कि उसने इसे किया है अथवा, वह गैर-कानूनी रूप से भाग गया है, जैसा भी मामला है; अथवा

(iii) उसके खिलाफ जो आरोप है उसे नेक-नियति से न्याय के हित को दृष्टिगत रखते हुए नहीं लगाया गया है;

(ख) वह जिस अपराध का अभियुक्त अथवा सिद्धदोष है वह सैनिक अपराध है, जो अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र के सामान्य दांडिक कानून के तहत भी अपराध नहीं है।

(ग) वह अनुरोध (हालांकि जिसे प्रत्यर्पण अपराध होने का दावा किया जा रहा है) वास्तव में उसकी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता अथवा राजनीतिक विचारधाराओं के कारण उस पर मुकदमा चलाने, उसे दंड देने के प्रयोजन से किया गया है; अथवा

(घ) उसकी जाति, धर्म, राष्ट्रिकता अथवा राजनीतिक विचारधाराओं के कारण उसके विचारण के दौरान पूर्वाग्रह के आधार पर उसे दंडित किया जा सकता है, नजरबंद किया जा सकता है, अथवा उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है,

(2) किसी भी व्यक्ति को जिसे किसी प्रत्यर्पण अपराध का सिद्धदोष पाया गया है तब तक प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता जब तक उसे चार महीने अथवा उससे अधिक की अवधि के लिए कैद की सजा अथवा किसी भी अन्य रूप में नजरबंद करने की सजा न दी गई हो।

(3) किसी भी व्यक्ति को उस स्थिति में प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता जब, जिस अपराध के संबंध में उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है उस पर अपराध के लिए अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र के प्रदेश में मुकदमा चलाया जा रहा हो और इस स्थिति में वह व्यक्ति पूर्व रिहाई अथवा दोषसिद्धी के संबंध में अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र के कानून के किसी नियम के तहत रिहाई का हकदार है।

अनुच्छेद 10

अभ्यर्पण का स्थगन

(1) यदि प्रत्यर्पण किए जाने वाले वांछित व्यक्ति के खिलाफ दांडिक कार्यवाही अनुरोध किये जाने वाले राष्ट्र के भूक्षेत्र में की जाती है अथवा जहां उसे दांडिक कार्यवाही के परिणामतः कानूनन नजरबंद किया जाता है तो उसे प्रत्यर्पण करने अथवा प्रत्यर्पण न करने का निर्णय तब तक स्थगित कर दिया जायेगा जब तक दांडिक कार्यवाही पूरी न हो गई हो अथवा जब तक वह नजरबंदी से रिहा हो गया है।

(2) किसी भी वांछित व्यक्ति को तब तक प्रत्यर्पण नहीं किया जायेगा जब तकः

(क) अनुरोध किये जाने वाले राष्ट्र के कानून के अनुसार यह निर्णय नहीं कर लिया जाता कि उसे प्रत्यर्पण किया जाना है; और

(ख) उस राष्ट्र के कानून द्वारा आगे अपेक्षित अवधि की समाप्ति पर।

अनुच्छेद 11

प्रत्यर्पण क्रियाविधि

(1) इस संधि के तहत प्रत्यर्पण हेतु कोई अनुरोध लिखित में किया जाएगा और इसे संविदाकारी राष्ट्रों के राजयनिक माध्यमों से प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) अनुरोध के साथ निम्नलिखित विवरण संलग्न किये जायेंगेः

(क) वांछित व्यक्ति का यथासंभव सही-सही विवरण और उसके साथ ऐसी कोई अन्य सूचना भी दी जाये जिससे उसकी पहचान, उसकी राष्ट्रीयता और उसके आवास का पता लगाने में सहायता मिले;

(ख) अपराध के तथ्यों का विवरण जिसके लिये प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया हो; और

(ग) कानून का पाठ, यदि कोई हो;

(I) जिसमें उस अपराध की परिभाषा को गई हो; और

(ii) जिसमें उस अपराध के लिये अधिकतम दंड निर्धारित किया गया है।

(3) जहां उक्त अनुरोध किसी अभियुक्त व्यक्ति से संबद्ध हो,उसके साथ अनुरोधकर्ता राष्ट्र के भू-क्षेत्र में किसी जज़, मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी या वांरट भी साथ लगाया जाना चाहिये और साथ ही ऐसे साक्ष्य लगाए जाने चाहिए जो अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के कानून के अनुसार, यदि अनुरोधकर्ता राष्ट्र के भू-क्षेत्र में अपराध किया गया तो उसके विचार को न्यायसंगत ठहराए, इसमें ऐसे साक्ष्य भी शामिल होंगे जो वांछित व्यक्ति को अरेस्ट वारंट के संदर्भ वाला व्यक्ति साबित करे।

(4) जहां अनुरोध पहले से किसी सिद्धदोष व्यक्ति अथवा सजायाफ्ता व्यक्ति से संबंधित हो तो उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ लगाये जाने चाहिये;

(क) दोषसिद्धि और सजा का प्रमाण-पत्र;

(ख) इस व्यक्ति का विवरण कि संबंधित व्यक्ति को दोषसिद्ध अथवा सजा पर आपत्ति उठाने का अधिकार प्राप्त नहीं है और इस विवरण में यह भी बताया जाना चाहिये कि कितनी सजा अभी बाकी रहती है।

(5) ऐसे किसी सिद्धदोष व्यक्ति के संबंध में जो अपने विचारण के समय उपस्थित नहीं था, उस व्यक्ति के संबंध में पैरा (4) के प्रयोजनों के लिये यह समझा जाना चाहिये कि वह उस अपराध का अभियुक्त था जिसमें उसे सिद्धदोष पाया गया।

(6) यदि अनुरोध किये जाने वाला राष्ट्र यह समझता है कि इस संधि के प्रयोजनार्थ दिए जाने वाले साक्ष्य अथवा दी गई सूचना कोई निर्णय लेने के लिये पर्याप्त नहीं है तो अतिरिक्त साक्ष्य अथवा सूचना अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र की अपेक्षानुसार नियत अवधि के भीतर दी जायेगी।

अनुच्छेद 12

अनन्तिम गिरफ्तारी

(1) तात्कालिक मामलों में, प्रत्यर्पण के लिए वांछित व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के कानून के अनुसार अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के सक्षम प्राधिकारी के आवेदन पर अनन्तिम तौर पर गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे आवेदन में उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध को आशय का उल्लेख होगा और उस व्यक्ति के अरेस्ट वारंट अथवा दोषसिद्धि होने का विवरण होगा और यदि उलब्ध हो सके तो उसका विवरण और यदि कोई अन्य जानकारी वांछित हो जो अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के भू-क्षेत्र में अपराध करने के लिए उसके खिलाफ आरेस्ट वांरट जारी करने और उसे दोषसिद्धि ठहराने को न्यायोचित ठरहाने के लिए जरूरी हो, संलग्न की जाएगी।

(2) ऐसे किसी आवेदन पर विचार किये गये किसी व्यक्ति को उस स्थिति में उसकी गिरफ्तारी की तारीख से 60 दिन के बाद रिहा कर दिया जायेगा यदि उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध प्राप्त नहीं होगा। इस प्रावधान से वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण के संबंध में और आगे कार्रवाई करने पर उस स्थिति में रोक नहीं लगती यदि ऐसा अनुरोध बाद में प्राप्त होता है।

अनुच्छेद 13

विशेष परिस्थितियों के नियम

(1) इस संधि के अंतर्गत अनुरोधकर्ता राष्ट्र के भू-क्षेत्र में वापस भेजे गए व्यक्ति के खिलाफ पैराग्राफ (2) में उल्लिखित अवधि के दौरान अनुरोधकर्ता राष्ट्र के भू-क्षेत्र में ऐसे किसी अपराध के लिये अथवा उसके भू-क्षेत्र में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा जो उस भू-क्षेत्र में उसकी वापसी से पहले किया गया हो सिवाय इसके कि-

(क) अपराध जिनके संबंध में उसकी वापसी की गई से इतर कोई न हो;

(ख) ऐसा कोई अपराध न ही जो उसकी वापसी करवाने के प्रयोजनार्थ तथ्यों द्वारा उद्घघाटित अपराध में अपेक्षाकृत कम साबित हो, सिवाय उस अपराध के जिसके संबंध में उसकी वापसी का आदेश कानूनी रूप से नहीं दिया जा सका; अथवा

(ग) ऐसा कोई अन्य अपराध जिसके संबंध में अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष उक्त व्यक्ति के संबंध में अपनी सहमति दे दे सिवाय उस अपराध के जिसके संबंध में उसकी वापसी का आदेश कानूनी रूप से नहीं दिया जा सका अथवा वास्तव में नहीं दिया गया हो।

(2) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (I) में उल्लिखित अवधि अनुरोधकर्ता राष्ट्र के भू-क्षेत्र में उसके पहुंचने के दिन से शुरू होगा अथवा इस संधि के अंतर्गत उसकी वापसी के दिन से और उसकी समाप्ति के 45 दिन के बाद परवर्ती अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र को छोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ हो।

(3) इस अनुच्छेद के पैरा (1) के प्रावधान इस संधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति को वापसी के बाद किये गये अपराधों अथवा एसे अपराधों से उठने वाले मामलों पर लागू नहीं होगें।

(4) किसी व्यक्ति को किसी तीसरे राष्ट्र को पुनः प्रत्यर्पण नहीं किया जायेगा सिवाय इसके कि जब उसे उस राष्ट्र के भू-क्षेत्र को छोड़ने का अवसर दिया गया हो जिस राष्ट्र के पास उसे भेजा गया है लेकिन उसने अपनी अंतिम रिहाई के 60 दिनों के भीतर ऐसा नहीं किया हो अथवा वह उस राष्ट्र के भू-क्षेत्र को छोड़ देने के बाद उस भू-क्षेत्र में वापस लौटा हो।

अनुच्छेद 14

साक्ष्य

(1) अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र के प्राधिकारी प्रत्यर्पण की किसी कार्यवाही में शपथ अथवा प्रतिज्ञान के जरिये लिये गये किसी साक्ष्य, किसी वारंट अथवा उसकी किसी प्रामाणिक प्रति और उसके किसी प्रमाण-पत्र अथवा न्यायिक दस्तावेज़ को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करेंगे जिससे उसकी दोषसिद्धि का विवरण दिया गया है। यदि उसे निम्नलिखित द्वारा अधिप्रमाणित किया गया हो।

(क) (i) अनुरोधकर्ता राष्ट्र के किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित वारंट के मामले में अथवा प्रकाशित किसी मूल दस्तावेज़ के मामले में; और

(ii) कुछ साक्षियों को शपथ पर अथवा अनुरोधकर्ता राष्ट्र के समुचित मंत्री की सरकारी मोहर लगी होने पर, अथवा

(ख) अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र के कानून द्वारा अनुमत्य किसी अन्य विधि से।

(2) पैराग्राफ (1) में उल्लिखित साक्ष्य अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र में साक्ष्य होगा चाहे वह अनुरोधकर्ता राष्ट्र में अथवा किसी तीसरे राष्ट्र में शपथ अथवा प्रतिज्ञा हो।

अनुच्छेद 15

समवर्ती अनुरोध

(1) यदि एक ही व्यक्ति के प्रत्यर्पम की मांग एक जैसा अपराध अथवा फलस्वरूप अपराधों के आधार पर संविदाकारी राष्ट्र तथा किसी ऐसे तीसरे राष्ट्र जिसने अनुरोध किए जाने वाले राष्ट्र के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था कर रखी हो, की जाती है तो अनुरोध किए जाने वाला राष्ट्र निश्चित करेगा कि उस व्यक्ति को किस राष्ट्र को प्रत्यर्पण किया जाए और वह राष्ट्र संविदाकारी राष्ट्र को तरजीह देने के लिए बाध्य नहीं होगा, परंतु संविदाकारी राष्ट्र को अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगा।

(2) यह विनिश्चित करने के लिए कि व्यक्ति को किस राष्ट्र को प्रत्यर्पित करना है, अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र निम्नलिखित सभी संगत कारकों, परंतु इन्हीं तक सीमित न रहते हुए,पर विचार करेगाः-

(क) क्या ये अनुरोध किसी प्रत्यर्पण संधि के अनुसरण में किए गए हैं;

(ख) अपराधों की सापेक्षिक गंभीरता, जहां अनुरोध अलग-अलग अपराधों से संबंधित हों;

(ग) प्रत्येक अपराध को किए जाने का समय और स्थान;

(घ) जिन तारीखों पर संबंधित राष्ट्रों से अनुरोध प्राप्त हुए;

(ड) संबंधित राष्ट्रों के हित;

(च) पीडित व्यक्ति की राष्ट्रीयता, और

(छ) संबंधित राष्ट्रों के बीच किसी परवर्ती प्रत्यर्पण की संभावना।

अनुच्छेद 16

मृत्यु दंड

(1) यदि अनुरोधकर्ता राष्ट्र के कानून के तहत वांछित व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए मृत्यु- दंड दिया जा सकता है जिसके लिए उसके प्रत्यर्पण की मांग की गई लेकिन अनुरोध किए जाने वाले राष्ट्र के कानून में इस प्रकार के मामले में मृत्यु-दंड की व्यवस्था नहीं हो तो प्रत्यर्पण करने से तब तक इंकार किया जा सकता है जब तक अनुरोधकर्ता राष्ट्र अनुरोध किए जाने वाले राष्ट्र की अपेक्षानुसार ऐसा पर्याप्त साक्ष्य नहीं दे सकता कि मृत्यु-दंड पर अमल नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 17

प्रत्यर्पण

(1) यदि प्रत्यर्पण की इजाजत दे दी जाती है तो वांछित व्यक्ति को अनुरोध किए जाने वाले राष्ट्र के प्राधिकारियों द्वारा अपने राष्ट्र के प्रदेश में ऐसे सुविधाजनक रवानगी स्थल पर भेजा जाएगा जिसका अनुरोधकर्ता राष्ट्र ने उल्लेख किया हो।

(2) अनुरोधकर्ता राष्ट्र वांछित व्यक्ति को अनुरोध किए जाने वाले राष्ट्र के प्रदेश से एक महीने के भीतर अथवा अनुरोध किए जाने वाले राष्ट्र के कानून द्वारा अनुमत अवधि के भीतर ले जाएगा। यदि उसे उस अवधि के भीतर नहीं लाया जाता है तो अनुरोध किये जाने वाला राष्ट्र उस अपराध के लिए वांछित व्यक्ति को प्रत्यर्पण करने से मना कर सकता है।

अनुच्छेद 18

संपत्ति का प्रत्यर्पण

(1) जब प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध स्वीकार कर लिया गया हो तो अनुरोध किया जाने वाला राष्ट्र अनुरोध करने पर और जहां तक उसका कानून इजाजत देता हो अनुरोधकर्ता राष्ट्र को सभी वस्तुएं (धनराशियों सहित) सौंप देगा जो उस अपराध को अंजाम देने के साक्ष्य अथवा प्रमाण के रूप में काम आ सकता है।

(2) यदि प्रश्नगत वस्तुएं अनुरोध किए जाने वाले राष्ट्र में अधिगृहीत अथवा जब्त की जा सकती हों तो अनुरोध किया जाने वाला राष्ट्र लंबित पड़ी कार्रवाई के सिलसिले में उन्हें अस्थायी रूप से अपने पास रख सकता है अथवा उन्हें इस शर्त पर सौंप सकता है कि वे उसे वापिस कर दी जाएगी।

(3) यह अनुच्छेद अनुरोध किए जाने वाले राष्ट्र अथवा वांछित व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति के अधिकारों को दुष्प्रभावित नहीं करेगा। जब ये अधिकार बहाल होगा तो उक्त वस्तुएं अनुरोध किए जाने पर कार्रवाही समाप्त होते ही बिना किसी प्रभार के अनुरोध किए जाने वाले राष्ट्र को वापस कर दी जाएगी।

अनुच्छेद – 19

पारगमन

(1) प्रत्येक संविदाकारी राष्ट्र किसी तीसरे राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र को अभ्यर्पित किसी व्यक्ति के अपने भू-क्षेत्र से गमन को प्राधिकृत कर सकता है।

(2) पारगमन का अनुरोध अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी को राजनयिक माध्यम से भेजा जाएगा बशर्ते कि संबंधित अपराध इस संधि के तहत एक प्रत्यर्पण योग्य अपराध हो। आपातकालीन स्थितियों में एेसे अनुरोध को भेजने में इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस आर्गेनाइजेशन (इंटरपोल) का सुविधाओं को भी प्रयोग किया जा सकता है।

(3) पारगमन के अनुरोध में निम्नलिखित विवरण शामिल होगा-

(क) व्यक्ति का विवरण और इसके साथ ऐसी कोई सूचना जो उसकी पहचान और राष्ट्रीयता स्थापित करने में सहायता करे, और

(ख) मामले के तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण और उन अपराधों की सूची जिनके लिए व्यक्ति को तीसरे राष्ट्र द्वारा अभ्यर्पित किया गया था।

(4) किसी व्यक्ति के पारगमन की अनुमति में, अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र के कानूनों के अध्ययाधीन, पारगमन के दौरान उसे हिरासत में रखे जाने के अनुमति शामिल होगी। यदि एक तर्कसंगत समय में परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो जिस राष्ट्र के भूभाग में व्यक्ति को रखा जा रहा है, उसके कार्यकारी प्राधिकारी उस व्यक्ति को रिहा करने के लिए निर्देश दे सकते हैं।

5. यदि एक संविदाकर्ता राष्ट्र द्वारा हवाई परिवहन का प्रयोग किया जा रहा हो और दूसरे संविदाकारी राष्ट्र के भूक्षेत्र में हवाई जहाज के उतरने को कोई कार्यक्रम नहीं हो, तो प्राधिकारों की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कोई हवाई जहाज बिना निर्धारित कार्यक्रम के उतरता है तो जिस राष्ट्र के भूक्षेत्र में ऐसी लैंडिंग होती है, उससे पारगमन के अनुरोध की आवश्यकता होगी।

अनुच्छेद 20

प्रत्यर्पण में पारस्परिक कानूनी सहायता

प्रत्येक संविदाकारी राष्ट्र अपने-अपने कानूनों द्वारा दी गई अनुमति की सीमा तक उस अपराध के संबंध में दांडिक मामलों में दूसरे को अधिक-से-अधिक सहायता देना जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया हो।

अनुच्छेद 21

दस्तावेज़ तथा व्यय

(1) यदि किसी मामले विशेष में अनुरोध किया जाने वाला राष्ट्र अपेक्षा करता हो तो अनुरोधकर्ता राष्ट्र इस संधि के उपबंधों के आधार प्रस्तुत किए गए किसी भी दस्तावेज़ का अनुवाद देगा।

(2) प्रत्यर्पण के अनुरोध की वजह से अनुरोध किए जाने वाले राष्ट्र के प्रदेश में हर खर्च को उस राष्ट्र द्वारा ही वहन किया जाएगा।

(3) अनुरोध किया जाने वाला राष्ट्र ये सभी प्रबंध करेगा जो कि प्रत्यर्पण के अनुरोध से उत्पन्न किसी कार्यवाही में अनुरोधकर्ता राष्ट्र के अभ्यावेदन के संबंध में अपेक्षित होगा।

अनुच्छेद 22

अंतरराष्ट्रीय अभिसमय के तहत दायित्व

वर्तमान संधि संविदाकारी राष्ट्रों के ऐसे अधिकारों एवं दायित्वों को अभावित नहीं करेगी जो उन अंतरराष्ट्रीय अभिसमय अथवा संधियों से उत्पन्न हुए हैं जिसके वे दोनों पक्षकार हों।

अनुच्छेद 23

सूचना की गोपनीयता

दोनों संविदाकारी राष्ट्र इस संधि के तहत प्रदान की गई जानकारी एवं दस्तावेज़ों की गोपनीयता को बनाए रखेंगे।

अनुच्छेद 24

सक्षम प्राधिकारी का नामांकन

दोनों संविदाकारी राष्ट्र एक सक्षम प्राधिकारी को नामित करेंगे एवं एक-दूसरे को इसके बारे सूचित करेंगे जो अथवा जिसके माध्यम से इस संधि के प्रयोजनार्थ अनुरोध किए अथवा प्राप्त किए जाएंगे।

अनुच्छेद 25

विवाद का निपटान

दोनों संविदाकारी राष्ट्र इस संध के निर्वचन अथवा अनुप्रयोग से उत्पन्न किसी विवाद को बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करेंगे।

अनुच्छेद 26

अंतिम प्रावधान

(1) यह संधि इसके लागू होने के बाद किए गए अनुरोधों पर लोगू होगी, चाहे वह प्रासंगिक कृत्य अथवा चूक उस तिथि से पहले हुई हो।

(2) यह संधि अनुसमर्थन के अधी होगी और अनुसमर्थन दस्तावेज़ों का आदान-प्रदान यथाशीघ्र किया जाएगा। इसे अनुसमर्थन दस्तावेज़ों के आदान-प्रदान किए जाने की तारीख से लागू होगा।

(3) कोई भी संविदाकारी राष्ट्र राजनयिक माध्यम से सूचना प्रदान करके किसी भी समय इस संधि को समाप्त कर सकता है; और यदि ऐसी सूचना दी गई है तो यह संधि सूचना के प्राप्त होने के छः महीने बाद समाप्त हो जाएगी।

(4) दोनों में से कोई भी संविदाकारी राष्ट्र इस संधि में संशोधन का अनुरोध कर सकता है। संशोधन का अनुरोध राजनयिक माध्यम से किया जाएगा। ये संशोधन अन्य राष्ट्र की सहमति पर ही वैध होंगे।

इसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत् प्राधिकृत होकर इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।

लिलोंगवे मे 5 नवंबर 2018 के दिन हिंदी एवं अंग्रेजी की दो मूल प्रतियों में हस्ताक्षरित दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। निर्वचन में किसी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

ह./-	ह॰/-
....	....
भारत गणराज्य की सरकार की ओर से	मलावी गणराज्य की सरकार की ओर से”

[फा. सं. टी-413/62/2014]

देवेश उत्तम, संयुक्त सचिव (सीपीवी)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 9th July, 2021

G.S.R. 486(E).—WHEREAS, the Extradition Treaty Between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Malawi was signed at Lilongwe on the 5th November, 2018 and the Instruments of Ratification of the said Treaty were exchanged at New Delhi on the 26th February 2021;

AND WHEREAS, the said Treaty entered into force with effect from the 26th day of February, 2021; in accordance with the provisions of paragraph (2) of Article 26 of the Treaty;

AND WHEREAS, the said Treaty is specified in the Schedule to this Order;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (a) of sub-section (3) of section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than the provisions of Chapter III, shall apply to the Republic of Malawi with effect from the date of entry into force of the said Extradition Treaty.

SCHEDULE

EXTRADITION TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MALAWI

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Malawi (hereinafter jointly referred to as “the Contracting States”);

Desiring to make more effective the cooperation of the two countries in the suppression of crime by making further provision for the reciprocal extradition of offenders;

Recognizing that concrete steps are necessary to combat terrorism;

Have agreed as follows-

Article 1

Duty to Extradite

(1) Each Contracting State undertakes to extradite to the other, subject to the conditions specified in this Treaty, any person who, being accused or convicted of an extraditable offence as described in Article 2, committed within the territory of one State, is found within the territory of the other State, whether such offence was committed before or after the entry into force of this Treaty.

(2) Extradition shall also be available in respect of an extraditable offence as described in Article 2 committed outside the territory of the Requesting State but in respect of which it has jurisdiction, if the Requested State would, in corresponding circumstances, have jurisdiction over such an offence. In such circumstances the Requested State shall have regard to all the circumstances of the case including the seriousness of the offence.

(3) In addition, extradition shall be available for an extradition offence as described in Article 2 -

(a) if it is committed in a third State by a national of the Requesting State and the Requesting State bases its jurisdiction on the nationality of the offender, and

(b) if it occurred in the Requested State, it would be an offence under the law of that State punishable with imprisonment for a term of at least one year.

Article 2

Extraditable Offences

(1) An extraditable offence, for the purposes of this Treaty, is constituted by conduct which, under the laws of both the Contracting States is punishable by a term of imprisonment for a period of at least one year.

(2) Extradition shall be granted in respect of a person convicted of. but not yet sentenced, or, convicted of and sentenced, for an extraditable offence, for the purpose of serving sentence or the remaining portion thereof, as the case may be.

Provided that, where extradition relates to the remaining portion of a sentence, extradition shall only be granted if a period of at least four months remains to be served.

(3) An offence may be an extraditable offence notwithstanding that it relates to taxation or revenue or is one of a purely fiscal character.

Article 3

Composite Offences

Extradition shall be available in accordance with this Treaty, for an extraditable offence, notwithstanding that the conduct of the person sought occurred wholly or in part in the Requested State, if under the law of that State, the conduct and its effects, or its intended effects, taken as a whole, would be regarded as constituting the commission of an extradition offence in the territory of the Requesting State.

Article 4

Extradition of Nationals

Nothing in this Treaty shall preclude the extradition by the Requested State of its nationals either in respect of a territorial offence or in respect of an extraterritorial offence.

Article 5

The Political Offence Exception

(1) Extradition may be refused if the offence for which it is requested is an offence of a political character.

(2) For the purpose of this Treaty, the following offences shall not be regarded as offences of a political character -

(a) murder;

(b) manslaughter or culpable homicide;

(c) assault occasioning actual bodily harm, or causing injury, maliciously wounding or inflicting grievous bodily harm whether by means of a weapon, a dangerous substance or otherwise;

(d) the causing of an explosion likely to endanger life or cause serious damage to property;

(e) the making or possession of an explosive substance by a person who intends either by himself or through another person, to endanger life or cause serious damage to property;

(f) the possession of a firearm or ammunition by a person who intends either by himself or through other persons, to endanger life;

(g) the use of a firearm by a person with intent to resist or prevent the arrest or detention of himself or another person;

(h) damaging property whether used for public utilities or otherwise, with intent to endanger life or with reckless disregard as to whether the life of another would thereby be endangered;

(i) kidnapping, abduction, false imprisonment or unlawful detention of a person, including taking of a hostage;

(j) incitement to murder;

(k) any other offence related to terrorism which at the time of the request, is, under the law of the Requested State, not regarded as an offence of a political character; and

(l) an attempt or conspiracy to commit any of the foregoing offences or participation as an accomplice of a person who commits or attempts commit such an offence;

(m) an offence within the scope of any convention to which both Contracting States are parties and which obliges the parties to prosecute or grant extradition.

Article 6

Extension of Extraterritorial Jurisdiction

(1) The Government of the Republic of Malawi undertakes to make it an offence under the laws of the Republic of Malawi, to commit in India, any of the following offences -

(a) an offence under any of the Conventions to which both the Contracting States are Parties.

(b) murder, manslaughter or culpable homicide, kidnapping, abduction, false imprisonment or unlawful detention including the taking of a hostage;

(c) an offence relating to the causing of an explosion, the making or possession of explosives, the possession or use of a firearm or the possession of ammunition as specified in Article 5 of this Treaty; and

(d) an attempt to commit or participate as an accomplice in any of the foregoing offences.

(2) The Government of India undertakes to establish corresponding jurisdiction over the offences listed in paragraph (1), committed in the Republic of Malawi.

Article 7

Offences of Conspiracy, Incitement and Attempt

(1) It shall be an offence under the laws of either Contracting State, for any person in that Contracting State -

(a) to attempt to commit in the other Contracting State, or incite, or participate as an accomplice in, the commission in that Contracting State, of any of the following offences: —

(i) an offence under any of the Conventions to which both the contracting States are Parties.

(ii) murder, manslaughter or culpable homicide, kidnapping, abduction, false imprisonment or unlawful detention including the taking of a hostage; and

(iii) an offence relating to the causing, of an explosion, the making or possession of explosive, the possession or use of a firearm or the possession of ammunition as specified in Article 5; and

(b) to conspire to commit in the other Contracting State, any offence mentioned in sub-paragraphs (i) to (iii).

(2) For the purposes of paragraphs (1) (b), it shall be an offence to conspire as aforesaid only where it would be an offence under the law of the country in which the conspiracy is alleged to take place for a person to conspire in that country in the commission in that country of such an offence.

Article 8

Extradition and Prosecution

(1) The request for extradition may be refused by the Requested State if the person whose extradition is sought may be tried for the extradition offence in the courts of that State.

(2) Where the Requested State refuses a request for extradition for the reason set out in paragraph (1), it shall submit the case to its competent authorities so that prosecution may be considered. Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any offence of a serious nature under the law of that State.

(3) Where the competent authorities decide not to prosecute in such a case, the request for extradition shall be reconsidered in accordance with this Treaty.

Article 9

Grounds for Refusal of Extradition

(1) A person may not be extradited if -

(a) he satisfies the Requested State that it would, having regard to all the circumstances, be unjust or oppressive to extradite him by reason of -

(i) the trivial nature of the offence of which he is accused or was convicted;

(ii) the passage of time since he is alleged to have committed the offence or to have become unlawfully at large, as the case may be; or

(iii) the accusations against him not having been made in good faith in the interest of justice;

(b) the offence of which he is accused or convicted is a military offence which is not also an offence under the general criminal law of the Requested State;

(c) the request, (though purporting to be made on account of an extraditable offence) has in fact been made for the purpose of prosecuting or punishing him on account of his race, religion, nationality or political opinions; or

(d) he might be prejudiced at his trial or be punished, detained or restricted in his personal liberty, by reason of his race, religion, nationality or political opinions.

(2) A person who has been convicted of an extraditable offence may not be extradited therefor unless he was sentenced to imprisonment or other form of detention for a period of four months or more.

(3) A person may not be extradited if he would, if proceeded against in the territory of the Requested State for the offence for which his extradition is requested, be entitled to be discharged under any rule of law of the Requested State relating to previous acquittal or conviction.

Article 10

Postponement of surrender

(1) If criminal proceedings against a person sought to be extradited are instituted in the territory of the Requested State, or where he is lawfully detained in consequence of criminal proceedings, the decision whether or not to extradite him may be postponed until the criminal proceedings have been completed or he is no longer detained.

(2) A person sought may not be extradited until -

(i) it has been decided in accordance with the law of the Requested State that he is liable to be extradited; and

(ii) the expiration of any further period which may be required by the law of that State.

Article 11

Extradition Procedures

(1) A request for extradition under this Treaty shall be in writing and submitted through the diplomatic channels of the Contracting States.

(2) The request shall be accompanied by -

(a) as accurate a description as possible of the person sought, together with any other information which would help to establish his identity, nationality and residence;

(b) a statement of the facts of the offence for which extradition is requested, and

(c) the text, if any, of the law -

(i) defining the offence; and

(ii) prescribing the maximum punishment for that offence.

(3) Where the request relates to an accused person, it must also be accompanied by a warrant of arrest issued by a judge, magistrate or other competent authority in the territory of the Requesting State and by such evidence as, according to the law of the Requested State, would justify his committal for trial if the offence had been committed in the territory of the Requested State, including evidence that the person requested is the person to whom the warrant of arrest refers.

(4) Where the request relates to a person already convicted and sentenced, it shall also be accompanied-

(a) by a certificate of the conviction and sentence;

(b) by a statement that the person is not entitled to question the conviction or sentence and showing how much of the sentence has not been served.

(5) In relation to a convicted person who was not present at his trial, the person shall be treated for the purpose of paragraph (4), as if he had been accused of the offence of which he was convicted.

(6) If the Requested State considers that the evidence produced or information supplied for the purposes of this Treaty is not sufficient in order to enable a decision to be made on the request, additional evidence or information shall be submitted within such time as the Requested State shall require.

Article 12

Provisional Arrest

(1) In urgent cases, a person sought to be extradited may, in accordance with the law of the Requested State, be provisionally arrested on the application of the competent authorities of the Requested State. INTERPOL Channel may also be used in forwarding the provisional arrest request. The application shall contain an indication of intention to request the extradition of that person and statement of the existence of a warrant of arrest or conviction against him, and, if available, his description and such further information, if any, as would be necessary to justify the issue of a warrant of arrest had the offence been committed, or the person sought been convicted, in the territory of the Requested State.

(2) A person arrested upon such an application shall be set at liberty upon the expiration of sixty (60) days from the date of his arrest if request for his extradition shall not have been received. This provision shall not prevent the institution of further proceedings for the extradition of the person sought if a request is subsequently received.

Article 13

Rule of Speciality

(1) Any person who is returned to the territory of the Requesting State under this Treaty should not, during the period described in paragraph (2) be dealt with in the territory of the Requesting State for, or in respect of any offence committed before he was returned to that territory other than-

(a) the offence in respect of which he was returned;

(b) any lesser offence disclosed by the facts proved for the purpose of securing his return other than an offence in relation to which an order for his return could not lawfully be made; or

(c) any other offence in respect of which the Requested Party may consent to his being dealt with other than an offence in relation to which an order for his return could not lawfully be made or would not in fact be made.

(2) The period referred to in paragraph (1) of this Article is the period beginning from the day of his arrival in the territory of Requesting State or his return under this Treaty and ending forty-five days after the first subsequent day on which he has the opportunity to leave the territory of the Requested State.

(3) The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply to offences committed after the return of a person under this Treaty or matters arising in relation to such offences.

(4) A person shall not be re-extradited to a third State, except when, having had an opportunity to leave the territory of the State to which he has been surrendered, he has not done so within sixty days of his final discharge, or has returned to that territory after having left it.

Article 14

Evidence

(1) The authorities of the Requested State shall admit as evidence, in any proceedings for extradition, any evidence taken on oath or by way of affirmation, any warrant and any certificate of, or judicial document stating the fact of, a conviction, if it is authenticated -

(a) (i) in the case of a warrant, being signed, or in the case of any original document by being certified, by a judge, magistrate or other competent authority of the Requesting State; and

(ii) either by oath of some witness or by being sealed with the official seal of the appropriate Minister of the Requesting State; or

(b) in such other manner as may be permitted by the law of the Requested State.

(2) The evidence described in paragraph (1) shall be admissible in extradition proceedings in the Requested State whether sworn or affirmed in the Requesting State or in some third State.

Article 15

Concurrent Requests

(1) If extradition of the same person whether for the same offence or for different offences, is requested by a Contracting State and a third State with which the Requested State has an extradition arrangement, the Requested State shall determine to which State the person shall be extradited, and shall not be obliged to give preference to the Contracting State but shall notify the Contracting State of its decision.

(2) In determining to which State the person is to be extradited, the Requested State shall consider all relevant factors including, but not limited to -

(a) Whether the requests were made pursuant to an extradition treaty;

(b) the relative seriousness of the offences, where the requests relate to different offences;

(c) the time and place of commission of each offence;

(d) the respective dates on which the requests were received from the respective State;

(e) the interests of the respective States;

(f) the nationality of the victim; and

(g) the possibility of any subsequent extradition between the respective States.

Article 16

Capital Punishment

(1) If under the law of the Requesting State, the person sought to be extradited is liable to the death penalty for the offence for which his extradition is requested, but the law of the Requested State does not provide for the death penalty in a similar case, extradition may be refused unless the Requesting State gives such assurance as the Requested State considers sufficient that the death penalty will not be carried out.

Article 17

Surrender

(1) If extradition is granted, the person sought shall be sent by the authorities of the Requested State to such convenient point of departure from the territory of that State as the Requesting State shall indicate.

(2) The Requesting State shall remove the person sought from the territory of the Requested State within one month or such longer period as may be permitted under the law of the Requested State. If he is not removed within that period, the Requested State may refuse to extradite the person for the same offence.

Article 18

Surrender of Property

(1) When a request for extradition is granted, the Requested State shall, upon request and so far as its law allows, hand over to the Requesting State, articles (including sums of money), which may serve as proof or evidence of the commission of the offence which is the subject of the request.

(2) If the articles in question are liable to seizure or confiscation in the territory of the Requested State, the latter may, in connection with pending proceedings, temporarily retain them or hand them over on condition that they are returned.

(3) This Article shall not prejudice the rights of the Requested State or any person other than the person sought. When these rights exist, the articles shall on request, be returned to the Requested State without charge, as soon as possible, after the end of the proceedings.

Article 19

Transit

(1) Either Contracting State may authorize transportation through its territory of a person surrendered to the other State by a third State.

(2) A request for transit shall be transmitted through the diplomatic channel to the Competent Authority Of the Requested Party provided that the offence concerned is an extraditable offence under this Treaty. In cases of urgency the facilities of the International Criminal Police Organization (INTERPOL) may also be used to transmit such a request.

(3) The request for transit shall contain-

> (a) a description of the person together with any information that may help to establish his or her identity and nationality; and
>
> (b) a brief statement of the facts of the case, and a list of the offences for which the person was surrendered by the third State.

(4) Permission for the transit of a person shall, subject to the law of the Requested State include permission for the person to be held in custody during transit. If transportation is not provided within a reasonable time, the executive authority of the State in whose territory the person is being held may direct that the person be released.

(5) Authorization shall be not required where air transportation is used by one Contracting State and no landing is scheduled on the territory of the other Contracting State. If an unscheduled landing occurs, the State in whose territory such landing occurs may require a request for transit.

Article 20

Mutual Legal Assistance in Extradition

Each Contracting State shall, to the extent permitted by its law, afford the other the widest measure of mutual assistance in criminal matters in connection with the offence for which extradition has been requested.

Article 21

Documents and Expenses

(1) If, in any particular case, the Requested State so requires, the Requesting State shall supply a translation of any document submitted in accordance with the provisions of this Treaty.

(2) Expenses incurred in the territory of the Requested State by reason of a request for extradition shall be borne by that State.

(3) The Requested State shall make all arrangements which shall be requisite with respect to the representation of the Requesting State in any proceedings arising out of the request.

Article 22

Obligations under International Conventions

The present Treaty shall not affect the rights and obligations of the Contracting States arising from International Conventions or Treaties to which they are parties.

Article 23

Confidentiality of Information

The Contracting States shall maintain the confidentiality of information and documents provided under this Treaty.

Article 24

Designation of Competent Authorities

The Contracting States shall designate and communicate to the other the Competent Authorities by, or through which, requests for the purposes of this Treaty may be made or received.

Article 25

Dispute Resolution

The Contracting States shall endeavor to settle any dispute arising from the interpretation or application of this Treaty through negotiations.

Article 26

Final Provisions

(1) This Treaty shall apply to requests made after its entry into force, even if the relevant acts or omissions occurred prior to that date.

(2) This Treaty shall be subject to ratification and the instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible. It shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification.

(3) Either of the Contracting States may terminate this Treaty at any time by giving notice to the other through the diplomatic channel; and if such notice is given, the Treaty shall cease to have effect six months after the receipt of the notice.

(4) Either of the two Contracting States may submit a request for amendment to this Treaty. The request for amendment shall be submitted via diplomatic channels. The amendments shall only be valid after the agreement of the other State.

In witness whereof, the undersigned being duly authorized by their respective Governments, have signed this Treaty.

Done in two originals at Lilongwe on 5th day of November, 2018 in Hindi and English languages, both texts being equally authentic. In case of any dispute with regard to interpretation, the English text shall prevail.

Sd/-	Sd/-
....	....
On behalf of the Government of the Republic of India	On behalf of the Government of the Republic of Malawi

[F. No. T-413/62/2014]

DEVESH UTTAM, Jt. Secy. (CPV)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.07.12 22:18:57 +05'30'